

राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता

2004. डा० लक्ष्मीनारायण पांडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है जो परिवार नियोजन केन्द्र के रूप में काम करते हैं;

(ख) इन केन्द्रों को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से कितनी सहायता प्राप्त हुई है तथा गत तीन वर्षों में इन्हें किस प्रकार की सहायता दी गई है; और

(ग) क्या ऐसे सभी केन्द्रों को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की ओर से प्राप्त हुई जीप गाड़ियां दी गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) मुख्य ग्राम परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का एक अंग होते हैं। इन राज्यों में निम्नलिखित केन्द्र कार्य कर रहे हैं :—

राज्य	स्थापित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	ग्राम परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र
मध्य प्रदेश	446	441
राजस्थान	232	232

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए उपकरण, जन स्वास्थ्य परिचारिका महिला स्वास्थ्य वीक्षिका, किट, मिडवाइफ किट, रेफी-जिरेटर, माईक्रोस्कोप, भोजन एवं औषध अनुपूरक सेट, गाड़ियों आदि के रूप में यूनिसेफ सहायता, पूर्ण अथवा आंशिक, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दी जाती है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनीसेफ तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय कसौटी पर पूरे उतरते हैं। वर्ष

1968, 1969 और 1970 के दौरान निम्नलिखित केन्द्र को यूनिसेफ सहायता प्राप्त हुई है :—

राज्य	पूर्ण सहायता	आंशिक सहायता
मध्य प्रदेश	85	12
राजस्थान	20	16

प्राप्त हुई सहायता का मूल्य निकाला जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (84 मध्य प्रदेश में और 16 राजस्थान में) यूनिसेफ गाड़ियों की सप्लाई के योग्य हुए हैं।

Allowance to Air Force Officers

2005. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state: the rates of (1) qualification allowance, (2) special disturbance allowance, (3) field service benefits, (4) travelling and daily allowance, and (5) allowances for a married accommodation, furniture electricity and water given to (1) officers, and (2) other ranks in the Air Force?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIWAN RAM): A statement is laid on the table of the House [Placed in Library. See No. LT—408/71].

Denial of Grade III Posts of Stenographers to Steno-Typists of Armed Forces Headquarters

2006. SHRI BIREN DUTTA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Steno-typists of the Armed Forces Headquarters have been denied Grade III posts of Stenographers to enable them to come at par with the Central Secretariat Stenographers; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIWAN RAM): (a) and (b). The question of introduction of Grade III posts of Stenographers in the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service is under consideration of Government.